भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1005

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946, (शक)

ईपीएस 95 पेंशनभोगियों को लाभ

1005. श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीएस 95 पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को न्यूनतम पेंशन सहित अन्य भत्ते का लाभ देने के संबंध में आदेश पारित किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में कोई आदेश जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो ईपीएस 95 से लाभान्वित पेंशनभोगियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ईपीएफओ अधिकारियों के कृत्य को न्यायालय की अवमानना माना जा सकता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस 95) के अंतर्गत अन्य भत्ते लाभों के साथ न्यूनतम पेंशन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****